

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म.प्र.)

प्रभार आदेश

क्रमांक : 33(एक-दो-01)07

सागर दिनांक 20.04.2026

मैं महेश कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर प्रभार आदेश क्रमांक 46/(एक-दो-01)07 दिनांक 15.04.2025 में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 9 एवं 10 तथा म0प्र0 सिविल कोर्ट एक्ट 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता हूँ—

क्र.	न्यायालय का नाम	अनुपस्थिति में आवश्यक कार्यभार वाले न्यायालय का नाम
1.	अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं अष्टम अति. सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सागर डॉ. वैभव विकास शर्मा	प्रथम प्रभार— नवम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर द्वितीय प्रभार—विशेष न्यायाधीश (एम.पी.ई.बी. क्रमांक 10)सागर तृतीय प्रभार—तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर। तत्पश्चात् अंतिम प्रभारी के पदक्रम के उत्तरवर्ती क्रमांक के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर।

नोट— उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

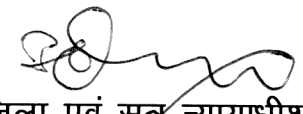

(महेश कुमार शर्मा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक 1949 (एक-दो-01)07
प्रतिलिपि:—

सागर दिनांक: 20.04.2026

01. समस्त न्यायाधीशगण, जिला स्थापना सागर।
02. ऑब्जेक्शन क्लर्क, सागर
03. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ सागर।

की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म.प्र.)